

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्दाई  
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट रोलसाहबसर  
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

मुमकरण पुत्र किशनलाल उम्र 60 साल जाति माली निवासी ग्राम रोलसाहबसर  
तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)। .....वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र ईशरराम उम्र 62 साल
2. प्रहलाद पुत्र किशनलाल उम्र 58 साल
3. लूणाराम पुत्र किशनलाल उम्र 56 साल
4. नोरंगलाल पुत्र किशनलाल उम्र 54 साल समस्त जाति माली निवासी ग्राम रोलसाहबसर तहसील रामगढ शेखावाटी हाल जिला सीकर राज0।
5. पटवारी पटवार हल्का रोलसाहबसर तहसील रामगढ शेखावाटी।
6. उपंजियक रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।
7. उप पंजियक फतेहपुर जिला सीकर।
8. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
9. जिला कलेक्टर महोदय जिला सीकर(राज.) ..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नम्बर - 34/13 सन् 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी .....एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निजी .....X..... मुबलिक .....X..... बाबत ..... X .....  
खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह ..... X ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... X .....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.05.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त .....  
ओहदा .....  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018  
ग्राम रोलसाहबसर